(

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 5502227 / पटना, दिनांक :- 24/04/26

ग्रा0वि0-14(म०)गया-01/2021

श्री उदय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-100349), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं जिला जल तथा स्वच्छता योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन, उच्चाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने तथा निर्वाचन जैसे कार्य में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने के आरोप पर उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक-3305 दिनांक-17.11.2018 द्वारा आरोप पत्र तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3709 दिनांक-20.10.2020 द्वारा इनके विरूद्ध आरोप प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

श्री कुमार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया एवं नगर एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित आरोप पत्र पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भ्रामक प्रतिवेदन भेजने एवं अन्य आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-397172 दिनांक-25.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया से प्राप्त आरोप पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। जबकि श्री कुमार के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर इनके स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री उदय कुमार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया एवं नगर एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि उप विकास आयुक्त, गया से प्राप्त आरोप पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित सुधार हो जाने के आलोक में स्वीकार योग्य है । श्री कुमार के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पर संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आंशिक स्वीकार योग्य है । श्री कुमार के विरूद्ध निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भ्रामक प्रतिवेदन भेजने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप अंशतः प्रमाणित होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री उदय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-100349), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरूद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने" का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री उदय कुमार के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22.4.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

D:\श्री उदय कुमार का\अधिसूचना.doc

Gopal

ज्ञापांक:- 5502227 / पटना, दिनांक :- 24/04/26

ग्रा0वि0- 14(म०)गया-01/2021

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.4.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 5502227 / पटना, दिनांक :- 24/04/26

ग्रा0वि0- 14(म०)गया-01/2021

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया एवं पटना/ उप विकास आयुक्त, गया एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, गया एवं पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री उदय कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-100349), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.4.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 5502227 / पटना, दिनांक :- 24/04/26

ग्रा0वि0- 14(म०)गया-01/2021

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22.4.26

सरकार के अपर सचिव